

इसे वेबसाइट [www.govtressmp.nic.in](http://www.govtressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 555]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2018—आश्विन 12, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. एफ ए 3-60-2015-1-पांच(93).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

भाग-तीन क,—

अनुक्रमांक 1 के सम्मुख, कॉलम (3) में अंक “22” के स्थान पर अंक “18” स्थापित किया जाए।

2. यह अधिसूचना 5 अक्टूबर 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूप परमार, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. एफ ए 3-60-2015-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-60-2015-1-पांच(93), दिनांक 4 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूप परमार, उपसचिव।

Bhopal, the 4<sup>th</sup> October 2018

No. F A 3-60-2015-1-V(93).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in schedule II of the said Act, namely:—

#### AMENDMENT

In Part-III-A,—

against serial no 1, in column (3) for the figure “22” the figure “18” shall be substituted;

2. This notification shall come into force from 5th October 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. एफ ए 3-60-2015-1-पांच(94).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9-कक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-60-2015-1-पांच (39) दिनांक 16 अगस्त 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (3) में, अनुक्रमांक 1 के सम्मुख, शब्द और अंक “रुपए 4/- प्रति लीटर” के स्थान पर, शब्द और अंक “1 रुपए और 50 पैसे प्रति लीटर” स्थापित किये जाएं।

2. यह अधिसूचना 5 अक्टूबर 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2018

क्र. एफ ए 3-60-2015-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-60-2015-1-पांच(94), दिनांक 4 अक्टूबर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 4<sup>th</sup> October 2018

No. F A 3-60-2015-1-V(94).—In exercise of the powers conferred by Section 9-AA of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification no. A-3-60-2015-19-FIVE-(39) dated 16th August, 2016, namely:—

#### AMENDMENT

In the said notification, in the table, in column (3),- against serial number 1, for the words and figure “Rupees 4/- per liter”, the word and figure “1 Rupee and 50 paise per liter” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from 5th October 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.